(d) Coal companies are endeavouring to meet the requirements of coal of all consumers in the country including that in Rajasthan and Orissa by increasing production of coal. In addition, coal from a number of collieries is being offered under the LSS. Under this scheme, coal is supplied without the requirement of linkages/sponsorships.

Demand for Coal from Power Sector

3046. SHRI SURESH P^ CHOURI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) the present demand for coal received from the power sector alone;

(b) whether the demand is projected to rise to 350 million tonnes by the end of the Ninth Five Year Plan; and

(c) if so, how Government propose to meet this demand for coal of the power secter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) The demand for coal for the power sector as assessed by the Planning Commission for the current year i.e. 1997-98 is 210 million tonnes (including washery middlings).

(b) The Working Group of the Ministry of Coal has assessed the coal demand of power sector for the terminal year of 9th Plan (i.e. 2001-2002) at 260.30 million tonnes (including washery middlings). The demand will however be finalised by the Planning Commission after discussions with Ministry of Coal, Ministry of Power and Ministry of Railways.

(c) The Working Group has assessed that this demand would be met by increasing coal production from CIL and SCCL by 58 million tonnes and by increasing coal production from captive mines by 13.40 million tonnes from the levels of productions attained in 1996-97.

कोयला कंपनियों पर बकाया राशि

3047. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) 31 मार्च, 1997 तक सभी कोयला कंपनियों पर विभिन्न मदों के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) क्या विगत कुछ वर्षों से भारतीय कोयला कंपनियों द्वारा घाटा दिखाया जा रहा है;

(ग) क्या पूरे देश में कोयला खदानों में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर कोयला श्रमिकों के कल्याण, उनके संरक्षण तथा उनके अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कोयला कंपनियों के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) सरकार द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की संरक्षा के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कोल इंडिया लि॰ तथा उसकी सहायक कंपनियों तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि॰ की ओर कुल देय बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:-

(करोड़ रु॰ में)

कोल इंडिया लि॰ तथा सहायक कंपनियां	
(1) सरकारी ऋण	3737.83
(2) उक्त पर ब्याज तथा केवल ब्याज	59.82
(3) अंतर-निगमित ऋण	102.82
(4) आवधिक ऋण (वित्तीय ब्याज एवं बैंक)	99.27
(5) बांड्स	1100.00
(6) अन्य	1057.62
सिंकों॰ कं॰ लि॰	
(1) सरकारी ऋण	1147.706
(2) उक्त पर ब्याज	478.271
(3) बैंक से	71.336
(4) वित्तीय संस्थान से	12.857
(5) कैनफिन होल लि॰ से	9.594

(ख) पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कोल इंडिया लि॰ (को.इं.लि.), इसकी सहायक कंपनियां तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. में हुए लाभ तथा हानि का